REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 8 | MAY - 2022

व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी व कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि।

दिनेशकुमार मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद शाहजहांपुर

सारांश:-

वर्तमान समय में सरकार के प्रमुख अंग व्यवस्थापिका की शक्ति में निरंतर कमी आ रही है जबकि अन्य अंगो की शक्ति में वृद्धि हो रही है व्यवस्थापिका जनता द्वारा निर्वाचित संस्था है | यह लोगो के विश्वास की आधारशिला है | इसका अपना एक अलग महत्त्व है परन्तु कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने से इसकी शक्ति में कमी आ रही है | कल्याणकारी राज्य का उदय, प्रदत्त व्यवस्थापन, नियोजन व दलियपद्धति जैसे कारणों ने व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के सामने बौना साबित कर दिया है | इन सब अनेक कारणों ने व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी कर दी है |

प्रस्तावना :-

सरकार के तीन अंग होते है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका | अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मेंव्यवस्थापिका,कार्यपालिका व न्यायपालिका ये तीनो अंग अलग अलग होते है संसदीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका अलग होती है और कार्यपालिका व व्यवस्थापिका एक दुसरे जुडी हुई होती है मंत्रीमंडल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है । व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्रियो से प्रश्न पूछते है तथा उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकते है व्यवस्थापिका की अपनी एक अलग पहचान व महत्त्व है जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण लोकतंत्र में अधिक महत्व है किन्तु वर्तमान समय में कार्यपालिका के मुकाबले व्यवस्थापिका की सत्ता का पतन हो गया है कई ऐसे कारण है जिनसे पता चलता है की कार्यपालिका की शक्ति में बढोत्तरी हुई है और व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी हुई है |

विशलेषण :-

लार्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्नडेमोक्रेसिस में एक अध्याय का शीर्षक "व्यवस्थापिका का पतन" रखकर बतलाया की वीसवीं सदी में इनका पतन हो गया है इसे उसने अपने दुसरे अध्याय "व्यवस्थापिकाओ का रोग विज्ञानं" में विशद वर्णन किया है इसी तरह केसी ह्वियर ने अपनी पुस्तक "लेजीस्लेचर" में व्यवस्थापिकाओ के पतन की बात कही है | व्यवस्थापिका की सत्ता में गिराबट के वारे में अध्ययन करने पर पता चलता है की कार्यपालिका ने अपनी स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत बना लिया है अब कार्यपालिका अनेक ऐसे कार्य करने लगी है जिनसे उनकी शक्ति में बढोत्तरी हो रही है | ओपी गाबाने बताया की विधानमंडल का पहला प्रतिद्वंदी तो कार्यपालिका है जबकि दूसरा प्रतिद्वंदी जनसंपर्क के साधन है।व्यवस्थापिका भी पहेले की अपेक्षा मजबूत हुई है परन्तु

कार्यपालिका जैसी संस्था उनसे काफी आगे निकल गई है | आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका ने सभी शक्तिया अपने पास रख ली है | ऐसे तमाम कारन निम्नलिखित है जिनसे व्यवस्थापिका की सत्ता में कमी व कार्यपालिका की सत्ता में बढोत्तरी हुई है –

1. **कार्यपालिका का प्रभावी होना :-** वर्तमान समय में अनेक ऐसे कार्य है जिसे कार्यपालिका करने लगी है | लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के कारन भी कार्यपालिका के कार्यो में वृद्धि हुई है | अत: व्यवस्थापिका की शक्ति में निरंतर कमी और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है |
2. **प्रदत्त व्यवस्थापन :-** जब कानून निर्माण का बहुत अधिक भार बढ जाता है तब व्यवस्थापिका अपनी इच्छा से कानून निर्माण शक्ति को कार्यपालिका को सौंप देती है तो उसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते है इसी कारन व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी और कार्यपालिका की शक्ति में बढोत्तरी होती है |
3. **संचार के साधनों का विकास :-** संचार के साधनों जैसे रेडिओ, टेलीविजन के विकास ने कार्यपालिका को मजबूती प्रदान की है | राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अब सीधे जनता से संबाद करते है | अमेरिका,ब्रिटेन व भारत में इन्ही संचार के साधनों की वजह से जनता व सरकार के बीच दूरी कम हो गयी है |
4. **राजनितिक दलों का विकास :-** सभी अर्थो में कहा जाये तो व्यवस्थापिका की शक्ति कार्यपालिका ने राजनितिक दलों के माध्यम से हरण कर लिया है दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यक्षीय शासन प्रणाली सभी में कार्यपालिका दल के समर्थन से व्यवस्थापिका की सारी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती वरन उसके नियंत्रण से भी मुक्त हो जाती है
5. **कल्याणकारी राज्य का उदय :-** वर्तमान समय में सरकारे जनता के कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है जनता के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकारे, व्यवस्थापिका से भी आगे निकल चुकी है कार्यपालिका का दायित्व व अधिकार क्षेत्र दोनों काफी बढ गए है |
6. **व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का प्रभावी होना :-** संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है लेकिन यह केवल कहने के लिए होता है | वास्तविकता यह है की कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है | दलीय प्रणाली में बहुमत के कारन कार्यपालिका काफी मजबूत बन गयी है |
7. **कार्यपालिका का सैनिक नियंत्रण :-** आणविक व अन्य विनाशक अस्त्र शास्त्रों के विकास के कारन कार्यपालिका देश की सुरक्षा में अन्य अंगो की अपेक्षा मजबूती के साथ लगी हुई है |
8. **वैदेशिक संबंधो का संचालन :-** व्यवस्थापिका इस मामले में कार्यपालिका से पीछे है | आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका ही अग्रसर है | उसी के द्वारा ईन संबंधो का संचालन किया जा रहा है |

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त कारणों का अध्ययन करने से मालूम होता है की वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी आयी है | परन्तु इन कारणों से यह निष्कर्ष निकालना सही नही होगा की व्यवस्थापिका का युग समाप्त हो गया है | व्यवस्थापिका आज भी अनेक कार्य कर रही है | जिन देशो में व्यवस्थापिकाए नही है वहां इनकी स्थापना की मांग की जा रही है लोकतांत्रिक देश हो या या सर्वाधिकारवादी व तानाशाही देशो में भी इनकी स्थापना की मांग हो रही है | राजनितिक व्यवस्था में ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक होते है | जनता की शिकयतो को एक मंच पर लाने का माध्यम होते है इनका कानूनी महत्व कभी नहीं समाप्त होगा |

परन्तु यह सर्वमान्य है की कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तिमें कमी आयी है और कार्यपालिका की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है |

सन्दर्भ :-

1. तुलनात्मक शासन एवं राजनीतिडॉसी बी गेना ,संस्करण 2018,पृष्ठ 165

2. राजनीति विज्ञान के सिद्धांतडॉपुखराज जैन ,संस्करण1995पृष्ठ141
3. राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा डॉओपी गावा,संस्करण2001पृष्ठ165
4. जेम्स ब्राइसमॉडर्न डेमोक्रेसी1921 के सीह्विवयर लेजिस्लेचर1963